

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ								
31/12/20	<p style="text-align: center;">न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल विविध वाद संख्या 163/2019-2020 (भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि) आदेश</p> <p>दाता श्री रछेया ठाकुर, पिता-विधि ठाकुर, ग्राम-शेखपुरा, थाना-करपी, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्टि हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-</p> <table border="1" data-bbox="263 840 1340 1041"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34</td> <td>728</td> <td>01 कटटा</td> <td>उत्तर-हीराधर सिंह दक्षिण-विष्णुदत्त सिंह पूरब-खाता पश्चिम-विष्णुदत्त सिंह</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">मौजा-शेखपुरा, थाना नं०-111, थाना-अंचल-करपी, जिला-अरवल</p> <p>भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए और न किसी के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी, करपी के पत्रांक 647 दिनांक 21.12.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।</p> <p>भूदान यज्ञ-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है एवं राम दयाल सिंह गंवाह का हस्ताक्षर है। अंचल अधिकारी, करपी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि देवनाथ हजाम वगैरह पिता-नन्हक हजाम वगैरह के नाम पर खतियान दर्ज है एवं दाता खतियानी रैयत के दादा है। रछेया ठाकुर, पिता-विधि ठाकुर के नाम से जमाबंदी चल रही है। बनवारी ठाकुर, पिता-रछेया ठाकुर वर्तमान में दखल कब्जा है जो दाता का पुत्र है। भूमि रैयति खाते की जो धनहर है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है। वर्णित भूमि पर भूदान दान पत्र के समय दाता का दखल कब्जा था।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित्त एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">(31/12/20)</p> <p style="text-align: center;">भूमि सुधार उप समाहर्ता अरवल।</p> <p style="text-align: right;">(31/12/20)</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल।</p>	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी	34	728	01 कटटा	उत्तर-हीराधर सिंह दक्षिण-विष्णुदत्त सिंह पूरब-खाता पश्चिम-विष्णुदत्त सिंह	
खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी							
34	728	01 कटटा	उत्तर-हीराधर सिंह दक्षिण-विष्णुदत्त सिंह पूरब-खाता पश्चिम-विष्णुदत्त सिंह							